

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक- 24-9-19

संख्या-12/प0 (मू0को0)-407/14-सा0प्र0-13302/ श्री रविकान्त सिन्हा, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1373/11, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मनिहारी, कटिहार को अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार के पद पर नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन होने तक के लिए अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी के पद का प्रभार सौंपा जाता है।


श्री संदीप कुमार, बि0प्र0से0, को0 क0-1394/11, अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार को पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, पटना में योगदान करने का निदेश दिया जाता है।

2. श्री रविकान्त सिन्हा को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से:


24/9/19
(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/प0 (मू0को0)-407/14-सा0प्र0-13302/पटना-15, दिनांक- 24-9-19
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, कटिहार/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-8, 27 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/9/19
सरकार के अपर सचिव